झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संचिका सं0–13/नि0वि0(NeSL)–11/2020.................... राँची, दिनांक–......................

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना संख्या–13/नि0वि0(NeSL)–11/2020–376/नि0, दिनांक–30.07.2020 द्वारा भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा यथा संशोधित भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत National e-Governance Service Limited (NeSL) के पोर्टल पर निष्पादित होने वाले 14 चौदह प्रकार के दस्तावेजों पर Stock Holding Corporation of India Limited के माध्यम से पक्षकारों द्वारा मुद्रांक शुल्क के डिजिटल भुगतान का प्रावधान किया जा चुका है।

2. उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन कर दस्तावेजों के प्रकार की सूची में क्रमांक–15 के रूप में निम्नांकित दस्तावेज को सम्मिलित किया जाता है।

क्र.सं.–15– सीमा शुल्क बॉण्ड (Customs Bond)

3. अधिसूचना की अन्य शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

4. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

ह0/–
(सुमन कैथरिन किस्पोट्टा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–13/नि0वि0(NeSL)–11/2020.................. राँची, दिनांक–..........................

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सभी उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, झारखण्ड/सभी निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, झारखण्ड/सभी जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–13/नि0वि0(NeSL)–11/2020..134 / नि0 राँची, दिनांक–29.3.2022

प्रतिलिपिः– श्री किशलय किशोर, ऐरिया मैनेजर, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अर्जन प्लेस, ओवर ब्रिज के निकट, रांची/ प्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड, रांची/ प्रबंधक, निदेशक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, NeSL को सूचनार्थ प्रेषित।

29/03/22
सरकार के अपर सचिव

D:\New folder\S\Word\Notification in Hindi.doc sarfraz